विःवुःसं० 1

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.12.2016 का कार्यवृत्त

स्थानः कुलपति कान्फ्रेन्स कक्ष

समय पूर्वान्ह 10.30 बजे

उपस्थितिः–

1. प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर –अध्यक्ष
2. प्रतिनिधि वित्त विभाग उ0प्र0 शासन –सदस्य
3. कुलसचिव –सदस्य
4. परीक्षा नियंत्रक, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –सदस्य
5. प्रो0 एस0पी0एम0 त्रिपाठी, राजनीतिशास्त्र विभाग –विशेष आमंत्रित सदस्य
6. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –सचिव

कार्यवृत्त

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.07.2016 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.07.2016 के जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही नहीं हुई उन–उन विन्दुओं पर कार्यवाही कर अगली वित्त समिति में रखे जाने एवं शेष विन्दुओं की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

2. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16.09.2016 के बिन्दु सं0 19 पर लिए गये निर्णय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिसर में पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा लगाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 16.09.2016 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक तथा विकास समिति की बैठक दिनांक 23.09.2016 की गयी मूर्ति प्रकरण पर प्रावधान रू0 35,00,000.00 के अनुमोदन के उपरान्त कुलपति जी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा स्थापना गठित समिति द्वारा नौ शिल्पकारों से कोटेशन प्राप्त किया गया, जिसमे प्राप्त शिल्पकारों में न्यूनतम दर दाता शिल्पकार उत्तम पाचारणे, मुम्बई से उनके द्वारा प्रतिमा निर्माण पर होने वाले व्यय रू0 24 लाख के अधीन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 12 फीट ऊँची ब्रोन्ज प्रतिमा लगवाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी। उक्त संस्तुति के अर्न्तगत मूर्ति स्थापना पर होने वाला उक्त व्यय विश्वविद्यालय बजट सत्र 2016–17 में 'परिसर का विकास (मरम्मत कार्य को छोड़कर)' मद संख्या 4(vii) से किया जायेगा। उपरोक्त के निमित्त वित्त समिति द्वारा उक्त मद के वर्तमान बजट प्राविधान रू0 20,00000.00 (रूपये बीस लाख) को उक्त सीमा तक बढ़ाकर रू0 35,00000.00 (रूपये पैतीस लाख) किये जाने की संस्तुति की गयी।

3. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दु पर विचार।

(क) विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मेडिक्लेम सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

वित्त समिति विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मेडिक्लेम सुविधा प्रदान किये जाने सम्बन्धी कुलपति जी के आदेश दिनांक 18.10.2016 से अवगत हुई। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कर्मचारियों को उक्त मेडिक्लेम सुविधा प्रदान किये जाने हेतु न्यूनतम दर दाता फर्म में0 स्टार हेल्थ एण्ड एलायड इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के द्वारा दिये गये दरो एवं शर्तो के

कार्यपरिषद के निर्णय के अनुसार 70 प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा एवं अवशेष 30 प्रतिशत धनराशि कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह किस्त के रूप में कटौती की जायेगी।

(ख) विश्वविद्यालय में वाहनों के परिचालन हेतु ड्राइवर के पद पर कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा कार्यपरिषद बैठक दिनांक 16.09.2016 द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय में वाहनों के परिचालन हेतु 4 (चार) वाहन चालकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय में कार्य कर रही आउट सोर्सिंग एजेन्सी से रखे जाने की संस्तुति की गयी। उक्त कार्य हेतु एजेन्सी को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन कुशल श्रेणी कार्मिक हेतु निर्धारित दरों एवं शर्तों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

(ग) विश्वविद्यालय के अतिथिगृह के रख–रखाव हेतु स्ववित्तपोषित व्यवस्था के अन्तर्गत कर्मचारी रखे जाने के सम्बन्ध में विचार।

वित्त समिति द्वारा कार्यपरिषद बैठक दिनांक 16.09.2016 द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय अतिथि गृह के रख–रखाव एवं कैटरिंग व्यवस्था हेतु आउट सोर्सिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय में कार्य कर रही आउट सोर्सिंग एजेन्सी से निविदा द्वारा निर्धारित दरों एवं शर्तों के अधीन चतुर्थ श्रेणी कार्मिक रखे जाने हेतु शासनादेश संख्या–2734/सत्तर–4–2005–44(15)/2004 दिनांक 29 दिसम्बर, 2005 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में उक्त श्रेणी हेतु स्वीकृत पदों के अतिरिक्त रखे जाने के अधीन सहमति दी गयी।

साथ ही समिति द्वारा विश्वविद्यालय के अतिथिगृह के रख–रखाव एवं कैटरिंग की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये प्रायोगिक तौर पर अगले छः महीनो के लिये स्ववित्त पोषित व्यवस्था के अन्तर्गत क्रियान्वित करने की संस्तुति की गयी। उक्त अवधि में अतिथिगृह के रख–रखाव के आय–व्यय का आकलन करने के उपरान्त वित्त समिति द्वारा तदनुसार निर्णय लिया जायेगा। वर्तमान में आगामी छः माह तक अतिथिगृह के रख–रखाव पर आने वाले समस्त व्यय विश्वविद्यालय के सामान्य निधि से वहन किया जायेगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

प्रतिनिधि वित्त विभाग उ0प्र0 शासन
सदस्य

कुलसचिव
सदस्य

परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य

प्रो0 एस0पी0एम0त्रिपाठी
विशेष आमत्रित सदस्य

वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति

कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.07.2016 का कार्यवृत्त

स्थानः कुलपति कान्फ्रेन्स कक्ष
समय अपराह्न 4.00 बजे

उपस्थितिः—

1. प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर	अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर, (प्रतिनिधि वित्त विभाग उ0प्र0 शासन)	सदस्य
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा)	सदस्य
4. कुलसचिव	सदस्य
5. परीक्षा नियंत्रक, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सदस्य
6. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सचिव

कार्यवृत्त

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.03.2016 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।
   वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.03.2016 के जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही नहीं हुई उन–उन बिन्दुओं पर कार्यवाही कर अगली वित्त समिति में रखे जाने एवं शेष बिन्दुओं की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

2. प्रो0 अजेय कुमार गुप्त, समन्वयक, प्रवेश परीक्षा–2016 के पत्र दिनांक 03.05.2016 के द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के आयोजन के दिन कक्ष परिप्रेक्षक/मुख्य कक्ष परिप्रेक्षक, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों आदि के पारिश्रमिक वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार।
   समन्वयक प्रवेश परीक्षा–2016 के पत्र दिनांक 03.05.2016 पर सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के आयोजन के दिन कक्ष परिप्रेक्षक/मुख्य कक्ष परिप्रेक्षक, तृतीय, चतुर्थ एवं ड्राइवर आदि के पारिश्रमिक वृद्धि के प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी। प्रस्ताव निम्नवत् है–
   1. कक्ष परिप्रेक्षकों का पारिश्रमिक रू0 150.00 प्रति सत्र के स्थान पर रू0 350.00 प्रति सत्र।
   2. मुख्य कक्ष परिप्रेक्षकों का पारिश्रमिक रू0 200.00 प्रति सत्र के स्थान पर रू0 400.00 प्रति सत्र।
   3. प्रवेश परीक्षा के आयोजन के दिन समन्वयक कार्यालय में कार्यरत तृतीय संवर्ग के कर्मचारियों को रू0 200.00 प्रति पाली के स्थान पर रू0 400.00 प्रति पाली।
   4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रू0 100.00 प्रति पाली के स्थान पर रू0 200.00 प्रति पाली।
   5. विश्वविद्यालय वाहन के ड्राइवर हेतु निर्धारित पारिश्रमिक रू0 100.00 प्रति पाली के स्थान पर रू0 200.00 प्रति पाली।

   (कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

3. विश्वविद्यालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात होमगार्डस को शासन द्वारा बढ़े मानदेय पर भुगतान हेतु विचार।
   विश्वविद्यालय सुरक्षा व्यवस्था में लगाये गये होमगार्डस को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी नये शासनादेश में निहित दरों के अनुसार भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।

   (कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

4. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चलाये जा रहे पी0जी0 डिप्लोमा आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन के शिक्षकों/कर्मचारियों के वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में विचार।
   सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चलाये जा रहे पी0जी0डिप्लोमा आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन के शिक्षकों/कर्मचारियों के वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, एवं 2015–16 से सम्बन्धित प्रस्तावित भुगतान का पुर्नपरीक्षण कर आय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करनें के उपरान्त भुगतान के सम्बन्ध में विचार किये जाने की संस्तुति की गयी।

   (कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

5. विश्वविद्यालय में मानदेय पर कार्यरत कार्यालय सहायक/ड्राइवर संविदा कर्मचारियों के कार्यादेश/भुगतान के प्रकरण पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने नियत मानदेय/संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के प्रकरण पर विचार किया गया जिसमें शासन द्वारा जारी शासनादेश एवं विश्वविद्यालय में पूर्व में कार्यरत नियत मानदेय/संविदा कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में वाद दायर किया गया जो आज भी न्यायालय में चल रहा है, जिसमें दिनांक 12.09.2011 में जारी न्यायालय आदेश तथा शासन द्वारा जारी तत्सम्बन्धी विभिन्न शासनादेशों से समिति अवगत हुई तथा समिति द्वारा नियत मानदेय/संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों से कार्य लेने अथवा भुगतान के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के उक्त आदेश तथा तत्सम्बन्धी जारी शासनादेशों के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–कुलसचिव)

6. विश्वविद्यालय में सायकिल स्टैण्ड की व्यवस्था के लिए पूर्व में निर्धारित दर में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने विश्वविद्यालय में नीलामी द्वारा सायकिल स्टैण्ड का ठेका देने पर अवाञ्छित तत्वों के प्रवेश की आशंका को दृष्टिगत पूर्व में 1996 से बनाई गयी व्यवस्था के अर्न्तगत समय–समय पर समयावधि विस्तार अनुबन्ध के आधार को दृष्टिगत रखते हुए कुलपति जी द्वारा प्रदत्त 01.07.2016 से तीन वर्ष हेतु सेवा विस्तार की स्वीकृति को संज्ञान लेते हुए 10% की वृद्धि किये जाने एवं तद्नुसार निर्धारित शर्तों पर अनुबन्ध किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

7. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जनरल डबलपमेण्ट एसिसटेन्स स्कीम (GDAS) के गाइडलाइन्स के अनुसार अतिथि गृह में कराये गये कार्य के भुगतान पर विचार।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना के जनरल डबलपमेण्ट एसिसटेन्स स्कीम के **Construction/ Renovation of Building** मद से अतिथि गृह में रिनोवेट कराये जा रहे कार्य, जिसे विकास समिति द्वारा दिनांक 30.07.2014 को अनुमोदित किया गया है, से वित्त समिति अवगत हुई तथा पुराने अतिथि भवन के रिनोवेशन का कार्य बारहवीं पंचवर्षीय योजना के **GDA Scheme** के **Construction/ Renovation of Building** मद से गाइडलाइन्स के अनुसार उपलब्ध बजट के अधीन कराये जाने की संस्तुति वित्त समिति द्वारा प्रदान की गयी। कार्य की कुल लागत रू0 52.52 लाख में से रू0 36.66 लाख का भुगतान यू0जी0सी0 के बारहवीं पंचवर्षीय योजना के **Construction/Renovation of Building** मद से अनुमन्य होगा और अवशेष धनराशि का भुगतान विश्वविद्यालय के सामान्य निधि के निर्माण/रख–रखाव मद से किये जाने की वित्त समिति द्वारा संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–कुलसचिव/वित्त अधिकारी)

8. प्रिन्स इलेक्ट्रीक वर्क्स, दाउदपुर, गोरखपुर का लम्बित भुगतान के सम्बन्ध में विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा प्रिन्स इलेक्ट्रीक वर्क्स, दाउदपुर, गोरखपुर के लम्बित भुगतान को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

9. प्रो0 एन0 एन0 त्रिपाठी, आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप पेंशन प्रकरण के निस्तारण पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति प्रो0 एन0एन0 त्रिपाठी, आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप श्री त्रिपाठी के प्रकरण में गठित विभागीय जॉच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा इस पर अन्तिम निर्णय पारित होने तक इनकी पेंशन पत्रावली प्रोविजनल पेंशन दिये जाने हेतु निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद को भेजे जाने की संस्तुति की।

(कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

10. गृह विज्ञान विभाग में एकल खाता के स्थान पर सयुक्त खाता संचालन के सम्बन्ध में विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त गृह विज्ञान विभाग का संचालित एकल खाता ड्यूल संचालित किये जाने एवं उक्त खाते का संचालन उपकुलसचिव (वित्त) एवं वित्त अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

11. यू0जी0सी0 मद में प्राप्त धनराशि को कैम्पस डेवलपमेण्ट पर कार्य कराने पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा यू0जी0सी0 के 12वीं पंचवर्षीय योजना के कन्स्ट्रक्शन/रिनोवेशन आफ बिल्डिंग मद में प्राप्त अनुदान से कैम्पस डवलपमेण्ट के निमित्त कार्य कराये जाने की संस्तुति की गयी, तथा इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अभियन्ता यू0जी0सी0 अनुभाग से संपर्क कर उक्त योजना के गाइड लाइंस के अनुकूल प्रस्ताव तैयार कराकर विकास समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही अपेक्षित–विश्वविद्यालय अभियन्ता)

12. कर्मचारी संघ, अध्यक्ष के पत्र दिनांक 05.07.2016 में राजकीय विभागों के स्टोर कीपर संवर्ग के सम्बन्ध में जारी शासनादेश को विश्वविद्यालय में कार्यरत स्टोर कीपर संवर्ग को लागू करने पर विचार।

वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष कर्मचारी संघ के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया गया इस सम्बन्ध में शासन को पूरे प्रकरण पर पत्र भेजने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–कुलसचिव)

13. विश्वविद्यालय में Web based ERP/Complete Integrated University Management System लागू करने हेतु यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ द्वारा प्राप्त डिजिटाइजेशन के प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में **Web based ERP/Complete Integrated University Management System** लागू करने तथा विभिन्न विभागों में डिजिटाइजेशन सम्बन्धी कार्य यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ से कराये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

14. अध्यक्ष के अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

I. RUSA से प्राप्त अनुदान धनराशि रू0 1.83 करोड़ से पॉच विभागों के लिए नये प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था यू0 पी0 सिडको से कराये जाने तथा 90% धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में विचार।

रूसा से प्राप्त अनुदान रू0 1.83 करोड़ से पॉच विभागों के लिए प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको, गोरखपुर से कराये जाने तथा रूसा के अधीन क्रियेशन आफ न्यू फेसिल्टिज के लैब मद में प्राप्त उक्त अनुदान का 90% धनराशि उक्त कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करनें के निर्णय से समिति अवगत हुई तथा समिति द्वारा इसका अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही अपेक्षित–कुलसचिव)

II. विश्वविद्यालय छात्रों का दुर्घटना बीमा कराने के सम्बन्ध में विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में सत्र 2016–17 में प्रवेशित सभी छात्र–छात्राओं से मेडिक्लेम बीमा (दुर्घटना बीमा) के नाम पर रू0 22=00 प्रति छात्र की दर से लिया जाता है। उक्त शुल्क के आलोक में सभी छात्र–छात्राओं का रू0 22=00 सीमा के अन्तर्गत दुर्घटना बीमा कराये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

III. प्रवेश परीक्षा–2016 के बी0एस–सी0, बी0ए0,बी0काम0 के मेरिटलिस्ट में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र/छात्रा को प्रोत्साहन स्वरूप विशेष छूट दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।

समिति द्वारा स्नातक स्तर पर (स्ववित्तपोषित पाठयक्रम को छोड़कर) प्रवेश परीक्षाओं में मेरिट सूची में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र/छात्रा, यदि वह विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है तो, उसके शिक्षण शुल्क को वर्ष 2016–17 के लिये मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,गोरखपुर (प्रतिनिधि) सदस्य	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी (प्रतिनिधि)सदस्य	कुलसचिव सदस्य
परीक्षा नियन्त्रक सदस्य	कुलपति	वित्त अधिकारी सचिव, वित्त समिति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

टीपें और आज्ञाएँ

कुलपति / अध्यक्ष वित्त समिति

कृपया वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.7.2016 के विन्दु संख्या–13 में लिये गये निर्णय में विश्वविद्यालय में Web based ERP/ Complete Integrated University Management System लागू करने हेतु कार्यवृत्त में त्रुटि पूर्वक इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन, लखनऊ के स्थान पर यू0पी0पी0सी0एल0 लखनऊ टंकित हो गया है। उत्तर प्रदेश शासन के इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार इस कार्य हेतु यू0पी0इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन, यू0पी0डेस्को तथा निक्सी संस्था ही अधिकृत है न कि यू0पी0पी0सी0एल लखनऊ और इस संन्दर्भ में यू0पी0 इलेक्ट्रनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड का ही प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः कार्यवृत्त के विन्दु संख्या–13 में यू0पी0पी0सी0एल0,लखनऊ के स्थान पर यू0पी0इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन संशोधित करने की अनुमति प्रदान करें जिसे वित्त समिति की अगली बैठक में संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

वित्त अधिकारी

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.03.2016 का कार्यवृत्त

स्थानः कुलपति कान्फ्रेन्स कक्ष
समय अपराह्न 3.30 बजे

उपस्थितिः–

1. प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर — अध्यक्ष
2. अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर, (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि) — सदस्य
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा) — सदस्य
4. कुलसचिव — सदस्य
5. परीक्षा नियंत्रक, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर — सदस्य
6. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर — सचिव

कार्य–वृत्त

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.11.2015 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।
वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.11.2015 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

2. विश्वविद्यालय के बजट सत्र 2015–16 के विभिन्न मदों में बढोत्तरी पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय कार्यहित के दृष्टिगत बजट वित्तीय वर्ष 2015–16 के निम्नलिखित मदों के बजट प्राविधान में वृद्धि बजट के अन्य मदों के बचत के अधीन स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

क्र0 सं0	मद	बजट प्राविधान	बढ़ोत्तरी के बाद प्राविधान
1.	उड़ाकादल/केन्द्राध्यक्ष/कक्ष निरीक्षक/नोडल सेण्टर पर व्यय	3,00,00,000.00	4,00,00,000.00
2.	समावर्तन समारोह/स्वर्ण पदक	30,00,000.00	70,00,000.00
3.	मजदूरी/सुरक्षाकर्मी/माली/स्वच्छक	2,00,00,000.00	2,50,00,000.00
4.	ललित कला एवं संगीत	70,000.00	2,00,000.00

(कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

3. विश्वविद्यालय के बजट सत्र 2016–17 पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट सत्र 2016–17 को निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित किये जाने की संस्तुति की गयी।
मद संख्या 8(2) पुस्तकालय–
   1. पुस्तकों/पत्र–पत्रिकाओं का क्रय– बजट प्राविधान रू0 50,00,000.00
   2. ग्रंथालय रख–रखाव/डिजिटाइजेशन/ई–लाइब्रेरी/ई–लर्निंग– बजट प्राविधान रू0 32,00,000.00

(कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

4. अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 20.02.2016 द्वारा सत्र 2015–16 के बजट प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तावित सत्र 2015–16 के बजट प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग)

5. प्रो0 डी0के0सिंह, समन्वयक, पर्यावरण विभाग द्वारा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे एम0 एस–सी0 "पर्यावरण विज्ञान" सत्र 2015–16 हेतु प्रस्तावित बजट प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा प्रो0 डी0के0सिंह, समन्वयक, पर्यावरण विभाग के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे एम0एस–सी0 पर्यावरण विज्ञान के सत्र 2015–16 हेतु बजट प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–समन्वयक, पर्यावरण विभाग)

6. प्रो0 डी0के0सिंह, समन्वयक, पर्यावरण विभाग द्वारा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे एम0 एस–सी0 "पर्यावरण विज्ञान" के शुल्क बृद्धि हेतु प्रस्ताव पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा प्रो0 डी0के0सिंह, समन्वयक, पर्यावरण विभाग के द्वारा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे एम0एस–सी0 पर्यावरण विज्ञान के शुल्क वृद्धि प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–समन्वयक, पर्यावरण विभाग)

7. परीक्षा नियंत्रक के पत्र दिनांक 18.12.2015 द्वारा परीक्षा समिति बैठक दिनांक 19.11.2015 की बिन्दु सं0 13 द्वारा परीक्षा के प्रश्नपत्र के परीसिमन (माडरेशन) हेतु पारिश्रमिक देने पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा परीक्षा नियन्त्रक के पत्र दिनांक 18.12.2015 द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 19.11.2015 के विन्दु सं013 द्वारा परीक्षा के प्रश्न पत्र के परिसीमन (माडरेशन) हेतु पारिश्रमिक देने के प्रकरण परीक्षा समिति द्वारा पुर्नपरीक्षण कर आगामी वित्त समिति की बैठक में रखे जाने हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–परीक्षा नियन्त्रक)

8. श्री बी0डी0 पाण्डेय, एडवोकेट उच्च न्यायालय इलाहावाद के पत्र पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री बी0डी0पाण्डेय, एडवोकेट, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र जिसमें उच्च न्यायालय में मुकदमों से सम्बन्धित विभिन्न दरों में वृद्धि हेतु निवेदन किया गया है, के सम्बन्ध में दरों के वृद्धि हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए यह संस्तुति की गयी कि लीगल सेल द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अध्ययन कर स्पष्ट प्रस्ताव कुलसचिव के माध्यम से वित्त समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाय।

(कार्यवाही अपेक्षित–कुलसचिव)

9. शासन के पत्र सं0 मु0म0–46/सत्तर–4–2013 दिनांक 30 जुलाई, 2013 पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने शासन के पत्र पर विचार हेतु एक समिति का निम्नवत् गठन किया गया ।

1. वित्त अधिकारी
2. कुलसचिव

(कार्यवाही अपेक्षित–कुलसचिव)

10. परीक्षा नियन्त्रक के पत्र दिनांक 30.01.2016 के पत्र में परीक्षा समिति के निर्णय पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति के निर्णय के आलोक में परीक्षा नियन्त्रक के प्रस्ताव दिनांक 30.01.2016 के सम्बन्ध में निम्नवत् संस्तुति की गई–

(क) विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कालर को कक्ष निरीक्षक के कर्त्तव्य निर्वहन हेतु निर्धारित पारिश्रमिक के अन्तर्गत रू0 100/– प्रति दस परीक्षा दिवस की दर कन्वेंस एलाउंस भुगतान देय होगा तथा कक्ष निरीक्षक के रूप में उनको उक्त दस परीक्षा दिवस के कार्य के पश्चात् अगले पॉच परीक्षा दिवस के लिए रू0 100/– का भुगतान अनुमन्य होगा। उक्त कार्य हेतु उन्हें पूरे वर्ष में रू0 200/– से अधिक कान्वेंस एलाउंस का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) परीक्षा केन्द्रों पर उत्तरपुस्तिका को पहुचाने के कार्य में लगे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को रू0 200/– प्रति राउण्ड भुगतान अनुमन्य होगा।

(ग) परीक्षा केन्द्रो से महाविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं को नोडल केन्द्रो पर पहुचाने हेतु पूर्व में निर्धारित दर रू0 4.00 प्रति कि0मी0 को बढ़ाकर रू0 7.00 प्रति कि0मी0 (आने एवं जाने के लिए) किया जाता है।

(कार्यवाही अपेक्षित–परीक्षा नियन्त्रक)

11. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों से प्राप्त परीक्षा शुल्क 2012–13 2013–14 एवं 2014–15 के मिलान हेतु आडिट कराने पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों से प्राप्त परीक्षा शुल्क वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के विशेष सम्परीक्षा का कार्य स्थानीय निधि लेखा सम्वर्ती

सम्परीक्षा विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से प्राथमिकता के आधार पर करा लिए जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

12. प्रार्थीगण के पत्र दिनांक 20.01.2016 द्वारा रसायन विज्ञान विभाग के समस्त कर्मचारियों को एक माह के वेतन के बराबर मानदेय की माँग पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा रसायन विज्ञान विभाग के कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में विचार हेतु एक समिति का निम्नवत् गठन किया गया–

1. प्रो0 एस0 के0 सेनगुप्ता
2. कुलसचिव
3. लेखाधिकारी
4. अधीक्षक (वित्त)
5. अधीक्षक (सामान्य प्रशासन)–प्रस्तुत कर्त्ता

(कार्यवाही अपेक्षित– अधीक्षक, सामान्य प्रशासन)

13. योग पाठ्यक्रम में प्राप्त आय से अधिक व्यय होने पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रकरण को विद्यापरिषद को संदर्भित किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–कुलसचिव)

14. अध्यक्ष के अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार–

1. बी0बी0ए0 विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट सत्र 2015–16 पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति व्यवसाय प्रशासन विभाग द्वारा चलाये जा रहे बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम के बजट सत्र 2015–16 को पारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग)

2. कैरियर एडवांसमेन्ट योजना के अन्तर्गत एवं सामान्य प्रशासन अनुभाग एवं लेखाविभाग के उन कर्मचारियों को शिक्षक प्रोन्नति प्रक्रिया के अन्तर्गत के कार्य करने वाले कर्मचारियों को पूर्व में वित्त समिति द्वारा पारित दरों में वृद्धि पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा शिक्षक प्रोन्नति प्रक्रिया के अधीन कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अन्तर्गत होने वाली चयन प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों/एक्सपर्ट के पारिश्रमिक भुगतान के सम्बन्ध में निम्नवत् संस्तुतियाँ की गयी:–

1. उपरोक्त चयन प्रक्रिया में आये विषय विशेषज्ञ को पारिश्रमिक के रूप में रू0 2000/– प्रति बैठक तथा विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न समितियों में विशेषज्ञ के रूप में नामित किसी बाह्य सदस्य को उक्त कार्य विशेष के लिए रू0 1000/– दिया जायेगा।
2. समिति ने सम्यक विचारोपरान्त चयन प्रक्रिया में लगे तृतीय श्रेणी कर्मचारी को रू0 250.00 प्रतिदिन को बढ़ाकर रू 300.00 प्रतिदिन तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रू0 100/– से बढ़ाकर रू0 150/– प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक भुगतान हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित देयक–प्रस्तुतकर्ता के स्तर से)

3. पेन्सन अनुभाग द्वारा प्रस्तुत पत्रावली जो सी0पी0एफ0 की की गयी कटौती धनराशि रू0 69,786/– दिसम्बर, 2014 भुगतान जनवरी 2015 का चेक टी0डी0एस0 के खाते में जमा हो जाने पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त माह दिसम्बर–2014 भुगतेय जनवरी–2015 के लिए सी0पी0एफ0 की कटौती की गयी धनराशि रू0 69,786/– का पुनः भुगतान किये जाने एवं आयकर विभाग में त्रुटिवश जमा की गयी, उक्त धनराशि बट्टे खाते में लेते हुए आयकर विभाग से धनराशि की वापसी प्राप्त करने हेतु पत्राचार किये जाने के लिए संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

4. लेखन सामग्री अनुभाग के कर्मचारियों द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित कार्य करने पर पाली के मॉग पर विचार।
वित्त समिति द्वारा विचारोपरोन्त उक्त प्रकरण मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में गठित समिति को संदर्भित किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–अधीक्षक, सामान्य प्रशासन)

5. विधि प्रकोष्ठ के कर्मचारी द्वारा मानदेय भुगतान पर विचार।
वित्त समिति द्वारा विचारोपरोन्त उक्त प्रकरण मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में गठित समिति को संदर्भित किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–अधीक्षक, सामान्य प्रशासन)

6. प्रो0 नूतन त्यागी, विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग के पत्र दिनांक 15.03.2016 पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रो0 नूतन त्यागी, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भूगोल विभाग के प्रयोगशाला मद के बजट प्राविधान को बढ़ाकर रू0 2,50,000/– किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

7. परीक्षा नियन्त्रक के पत्र दिनांक 16.03.2016 में क्रम सं0 03 पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विभिन्न कार्यो हेतु पारिश्रमिक से सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रक के प्रस्ताव को निम्नवत् स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी:–

क्र0 सं0	कार्य	पूर्व दर रू0	स्वीकृत दर रू0
1.	उपाधि लेखन बैक पृष्ठ पर नामांकन सं0 एवं महाविद्यालय का नाम हाथ लिखने हेतु	1.00	1.00
2.	उपाधि जांच कर्ता	0.50 पैसा (दो व्यक्तियों में)	रू0 1.00 (दो व्यक्तियों में)
3.	उपाधि पर मोहर लगाने हेतु	0.25 पैसा (दो व्यक्तियों में)	0.50 पैसा (दो व्यक्तियों में)
4.	उपाधि पर हस्ताक्षर अधिकारी हेतु	0.13 पैसा (प्रति व्यक्ति)	0.25 पैसा (प्रति व्यक्ति)
5.	अंकतालिका वितरण कर्ता	0.27 पैसा प्रति	0.50 पैसा प्रति व्यक्ति

(कार्यवाही अपेक्षित–परीक्षा नियन्त्रक)

8. लेखा विभाग में ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा अन्य सम्बन्धित कार्यो के विकास कार्य का प्रस्ताव पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लेखा विभाग में एप्लीकेशन साफ्टवेयर तथा अन्य सम्बन्धित कार्य विश्वविद्यालय में डिजीटाइजेशन हेतु चल रही प्रक्रिया के अन्तर्गत ही कराये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–वित्त अधिकारी)

9. विश्वविद्यालय में कार्यरत विधि सलाहकार के पत्र दिनांक 30.01.2016 रिटेनरशिप फीस में वृद्धि पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यरत विधि सलाहकारों के रिटेनरशिप फीस/मानदेय को रू0 10,000/– से बढ़ाकर रू0 15,000/– प्रतिमाह किये जाने की संस्तुति की गयी। यह आगामी 01 अप्रैल, 2016 से लागू माना जायेगा।

(कार्यवाही अपेक्षित–कुलसचिव)

10. प्रवेश परीक्षा के खाता सं0 20189383929 में अवशेष धनराशि रू0 5.00 (पॉच करोड़) के विनियोजन के सम्बन्ध पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रवेश परीक्षा खाता सं0 20189383929 में अवशेष धनराशि रू0 5.00 (रू0 पॉच करोड़) का विनियोजन एफ0डी0आर0 के रूप में इलाहाबाद बैंक विश्वविद्यालय

शाखा, गोरखपुर में इस शर्त के साथ किये जाने की संस्तुति की गयी कि भविष्य में उक्त विनियोजन से प्राप्त व्याज मूलधन सहित प्रवेश परीक्षा खाता सं0 20189383929 में वापसी प्राप्त की जा सकेगी।

(कार्यवाही अपेक्षित–कुलसचिव)

11. पी0के0सिंह, असिस्टेण्ट डाइरेक्टर, मिनिस्ट्री आफ लेबर, गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया, अलीगंज, लखनऊ के पत्र दिनांक 09.12.2015 पर विचार।
वित्त समिति द्वारा पी0के0सिंह, असिस्टेण्ट डाइरेक्टर, मिनिस्ट्री आफ लेबर, गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया, अलीगंज, लखनऊ के पत्र दिनांक 09.12.2015 पर विचार करते हुए प्रकरण के सम्बन्ध में विधि सलाहकार के माध्यम से अपील की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–विधि सलाहकार)

12. वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.06.2015 के विन्दु सं0 7–क (vii) में आल इण्डिया सर्वे/रूसा का कार्य विगत सितम्बर, 2013 से हो रहा है जिसमें निम्नलिखित कर्मचारी श्री बुगदाद अली, वरिष्ठ सहायक, श्री रोहित शर्मा, कनिष्ठ सहायक, श्री बीरबल, परिचर, श्री दीपू, डाटाइन्ट्री आपरेटर कार्यालय समय से पूर्व एवं बाद तथा अवकाश के दिनों में कार्य किये है, जिसके लिये पाली/मानदेय की मॉग किये है जिसमें निम्न निर्णय लिये गये "सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को अगली वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की गयी" पर विचार।
वित्त समिति द्वारा विचारोपरोन्त उक्त प्रकरण मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में गठित समिति को संदर्भित किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–अधीक्षक, सामान्य प्रशासन)

13. विश्वविद्यालय को उ0प्र0 शासन से प्राप्त अनुदान में बृद्धि किये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध पर विचार।
छठवें वेतन आयोग द्वारा शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के व्यय भार में वृद्धि एवं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर के अस्तित्व में आने के कारण विश्वविद्यालय आय में कमी होने के आलोक में वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निश्चय किया गया कि उ0प्र0 शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान की धनराशि में वृद्धि किये जाने हेतु शासन को सक्षम स्तर से पत्राचार किया जाय।

(कार्यवाही अपेक्षित–कुलसचिव)

15. विश्वविद्यालय परिसर स्थित कन्वेंशन सेन्टर को वातानूकूलित किया गया है जिससे सुविधा में वृद्धि की गयी है। कन्वेंशन सेन्टर हाल का किराया वर्ष 2013 में निर्धारित किया गया था, वातानुकूलित होने के कारण किराये में वृद्धि पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कन्वेंशन सेन्टर के किराये में निम्नवत वृद्धि की संस्तुति की जाती है–
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु रू0 10,000.00 (रूपये दस हजार) से बढ़ाकर रूपये 12,000.00(रूपये बारह हजार), तृतीय श्रेणी कर्मचारियों हेतु रूपये 12000.0(रूपये बारह हजार) से बढ़ाकर रूपये 15000.00 (रूपये पन्द्रह हजार) एवं शिक्षक/अधिकारी हेतु रू0 15000.00 (रूपये पन्द्रह हजार) से बढ़ाकर रूपये 20000.00 (रूपये बीस हजार) किये जाने की संस्तुति की गयी।

(कार्यवाही अपेक्षित–सम्पत्ति अधिकारी)

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,गोरखपुर
(प्रतिनिधि) सदस्य

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
(प्रतिनिधि)सदस्य

कुलसचिव 19/3/16
सदस्य

परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य

वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति

कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 19.03.2016 की कार्यवृत्ति में संशोधन

वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.03.2016 के कार्यवृत्ति विन्दु सं0 14(15) में उल्लिखित निर्णय–

"वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कन्वेंशन सेन्टर के किराये में निम्नवत वृद्धि की संस्तुति की जाती है–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु रू0 10,000.00 (रूपये दस हजार) से बढ़ाकर रूपये 12,000.00(रूपये बारह हजार), तृतीय श्रेणी कर्मचारियों हेतु रूपये 12000.00 (रूपये बारह हजार) से बढ़ाकर रूपये 15000.00 (रूपये पन्द्रह हजार) एवं शिक्षक/अधिकारी हेतु रू0 15000.00 (रूपये पन्द्रह हजार) से बढ़ाकर रूपये 20000.00 (रूपये बीस हजार) किये जाने की संस्तुति की गयी।"

के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जाय।

वित्त समिति ने सम्यक् विचारोपरान्त कम्युनिटी सेन्टर किराये में निम्नवत् वृद्धि की संस्तुति की जाती है :-

शिक्षक हेतु रू0 15,000/– किराया, से बढ़ाकर रू0 17,500/–किराया, रू0 4,000/– से रू0 6,500/– विद्युत चार्ज एवं रू0 1000/– सफाई चार्ज कुल रू0 25,000/– निर्धारित किया जाता है।

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों हेतु रू0 7,000/– किराया से बढ़ाकर रू0 8,500/–, रू0 4,000/–से रू0 5,500/– विद्युत चार्ज एवं रू0 1000/– सफाई चार्ज कुल रू0 15,000/– निर्धारित किया जाता है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु रू0 5,000/– किराया से बढ़ाकर रू0 6,000/–, रू0 4,000/–से रू0 5,000/– विद्युत चार्ज एवं रू0 1000/– सफाई चार्ज कुल रू0 12,000/– निर्धारित किया जाता है।

संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,गोरखपुर
(प्रतिनिधि) सदस्य

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
(प्रतिनिधि)सदस्य

कुलसचिव
सदस्य

परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य

वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति

कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति